

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, रोहतास के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) एवं 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-515, दिनांक-21.04.2025 क्रम संख्या-08 एवं 47 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु आश्रित/लभार्थी के खाता में त्रुटि रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-515, दिनांक-21.04.2025 क्रम संख्या-08 एवं 47 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक-294, दिनांक-24.02.2026 एवं पत्रांक-167, दिनांक-05.02.2026 के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाटिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01.	स्व० नन्दु बिन्द, 40, स्व० बिन्देश्वरी बिन्द, पिछड़ा वर्ग	फुलमति कुमारी (पत्नी)	294 24.02.2025 298, 17.03.2025	ग्रा०-टंकारी खुर्बाद, पो०-बरैला, था०+प्र०-चेनारी, जिला-रोहतास, 9576167054	7333070 0076819	DBGB, PUNB0 MBGB 06	रू 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
02.	स्व० कुन्दन चौहान, 26, रामेश्वर चौहान, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पुनम देवी (पत्नी)	167 05.02.2026 374, 21.03.2025	ग्रा०-भुअरा, पो०-बकनौरा, था०+प्र०-रोताहस, जिला-रोहतास, 6203314317	7327070 0045641	DBGB, PUNB0 MBGB 06	रू 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर

कुल:- रू० 2,50,000/-

(दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-515, दिनांक-21.04.2025 क्रम संख्या-08 एवं 47 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।


ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या:-62/2024 (अंश-'क')-605

पटना, दिनांक :- ११/०५/2026


प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


Signed by Rohit Kumar

Date: 05-05-2026 16:45:51

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी



Signed by Rajesh Bhatti

Date: 07-05-2026 17:43:41

(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक